रबड़ बोर्ड
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
पी.बी.नं.1122, कोट्टयम 686 002
वेब साइट / website: www.rubberboard.org.in
ई-मेल / e-mail: lskochi@rubberboard.org.in
अनुज्ञापन प्रभाग
अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क विभाग

THE RUBBER BOARD
(Government of India, Ministry of Commerce & Industry)
P.B.NO.1122, KOTTAYAM 686 002
दूरभाष/ Phone: (0481) 2301231
फैक्स / Fax: 2575403, 2571380
Licensing Division
Licensing & Excise Duty Department

Ref.No. 6/3/LDK/2022 01-11-2022

वर्ष 2023-2028 के लिए व्यापारी और संसाधक की अनुज्ञापत्र का नवीकरण

निर्देश और दिशानिर्देश

31 मार्च 2023 को जिनके लाइसेंस समाप्त हो रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 31.3.2023 से आगे लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए 10 दिसंबर 2022 को या उससे पहले वेबसाइट 'rbegp.in' पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन जमा करें। आवेदन का एक प्रिंट आउट लिया जाना चाहिए और हस्ताक्षर और मोहर लगाने के बाद इसे उप निदेशक (लाइसेंसिंग), रबड़ बोर्ड मुख्यालय, कोट्टयम - 686 002 को भेजना चाहिए।

जिन लोगों ने अभी तक अपना पासवर्ड नहीं बनाया है, उन्हें पहले एक बार उपयोगकर्ता पंजीकरण के माध्यम से उसे बनाना चाहिए और इस मुद्रित उपयोगकर्ता पंजीकरण प्रपत्र को विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर भेजकर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

प्रपत्र जमा करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पहले देय सभी मासिक विवरणियाँ जमा कर चुके हैं। यदि विवरणियां लंबित है, तो आवेदन अधूरा माना जाएगा और नवीकरण केवल उन लंबित विवरणी प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी विवरणियाँ अद्यतन भरी गई है।

लाइसेंस शुल्क का भुगतान

लाइसेंस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड/पेमेंट गेटवे (रबड़ बोर्ड वेबसाइट में लिंक उपलब्ध) या डिमांड ड्राफ्ट आदि के माध्यम से किया जा सकता है। रबड़ बोर्ड के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रबड़ बोर्ड शाखा, कोट्टयम (आईएफएस कोड CBIN 0284150) में अनुरक्षित अनुज्ञापन और उत्पाद शुल्क खाता सं. 3173717326 में एनईएफटी के माध्यम से राशि प्रेषित भी की जा सकती है।

मौजूदा शुल्क नीचे दिखाए है

मद	5 वर्ष के लिए शुल्क	18% दर में जीएसटी	कुल (रु.)
व्यापारी/संसाधक लाइसेंस	5000	900	5900
शाखा पंजीकरण	1000	180	1180
फील्ड लाटेक्स का एकत्रण	2000	360	2360

संस्था / व्यापार परिसर / भंडारण परिसर में कोई भी परिवर्तन किया जाना चाहता है तो ऑनलाइन परिवर्तन अनुरोध मेनू के माध्यम से अनुरोध करना चाहिए और जमा करने के बाद, इसका एक प्रिंट आउट आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

बोर्ड के अनुमोदन के बिना **संस्था के गठन में परिवर्तन** (मालिकाना संस्था का साझेदारी में परिवर्तन, साझेदारी संस्था इत्यादि के गठन में परिवर्तन) को अनुमति नहीं है। इसलिए, यदि आप संस्था के गठन में किसी भी बदलाव को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन अनुरोध मेनू के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अनुमोदन के लिए इस कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। साझेदारी से साझेदार/साझेदारों की मौत/सेवानिवृत्ति भी बोर्ड के अभिलेखों से उनका/उनके नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/ विघटन विलेख की प्रमाणित प्रति के साथ इस कार्यालय में रिपोर्ट की जा सकती है।

व्यापार और भंडारण का स्थान: यदि आपके व्यापार परिसर या भंडारण में आपके लाइसेंस में प्रदत्त स्थान से कोई परिवर्तन है, तो आवेदन के साथ इसकी वास्तविकता साबित करने के लिए संगत दस्तावेजी सबूत जैसे किराया करार, किराया रसीद, स्वामित्व प्रमाणपत्र/ भवन कर रसीद आदि के साथ आवेदन प्रस्तुत करें।

संसाधकों के लिए: संसाधक को लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन पर विचार करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त वैध लाइसेंस की एक प्रति और वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमति की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

चेतावनी: प्रत्येक व्यक्ति जो रबड़ की बिक्री या या अन्यथा निपटान या खरीद या अन्यथा रबड़ का अर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को रबड़ बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस रखना चाहिए; अन्यथा वे रबड़ अधिनियम 1947 के प्रावधान के अनुसार कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय होंगे। रबड़ बोर्ड को लाइसेंस हेतु आवेदन एवं लाइसेंस शुल्क जमा करने से आवेदक वैध लाइसेंसधारक है नहीं बन जाता जब तक की आवेदक के नाम रबड़ बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि वर्तमान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले आपका लाइसेंस जारी किया गया है। आवेदन की देरी से फाइलिंग या अपूर्ण आवेदन से लाइसेंस जारी करने में देरी होने की संभावना है, जिसके लिए बोर्ड को किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। बोर्ड द्वारा मांगी जाने वाले सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही भविष्य की तारीख पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

उप निदेशक (अनुज्ञापन)

Ref.No. 6/3/LDK/2022 01-11-2022

RENEWAL OF DEALERS' AND PROCESSORS' LICENCE FOR 2023-2028

Instructions & Guidelines

All those whose licences are expiring on 31st March 2023 are requested to submit the application for renewal of licence beyond 31.3.2023 through online **on or before 10th December 2022** by logging into the website 'rbegp.in'. A print out of the application should be taken and send the same to the Deputy Director (Licensing), Rubber Board Head Office, Kottayam – 686 002 after putting signature and stamp.

Those who have yet to create their password should first create the same through onetime user registration and get it approved by sending the printed user registration form duly signed and stamped.

While submitting the form it should ensure that the licensee has submitted all the **monthly returns up to date** before the submission date through online. **If the returns are pending, the application will be considered as incomplete and the renewal will be done only after receiving those pending returns**. Non-filing of returns is a compoundable offence, hence it shall be ensured that the returns are filed online up to date.

Payment of Licence Fee

The licence fee can be paid through online mode/payment gateways (Link available on Rubber Board website) or through demand draft etc. Amount can also be remitted in Rubber Board's Licensing & Excise Duty Account No. 3173717326 with Central Bank of India, Rubber Board, Kottayam (IFS Code CBIN 0284150) through NEFT.

The prevailing fees are shown below

Item	Fee for 5 years	GST@18%	Total (Rs.)
Dealer/Processor Licence	5000	900	5900
Branch Registration	1000	180	1180
Collection of Field Latex	2000	360	2360

Any change in constitution/Business Premises/Storage premises may be done online through change request menu and after submission, a print out of the same should be forwarded to this office along with necessary documents.

Change in the constitution of the firm (conversion of proprietary concern into partnership, alteration in the constitution of partnership firm etc.) without the approval of the Board is not permissible. Hence, if you wish to effect any change in the constitution of the firm, you may make an application through **change request menu** and send the hard copy with necessary documents to this office for approval. Death/retirement of partner/s from the partnership may also be reported to this office along with an attested copy of the death certificate/dissolution deed for deletion of his/their name/s from the Board's records.

Place of business and storage: If there is any change in your business premises or storage from that of your licence, necessary clarification for the difference along with the relevant documentary evidence such as rent agreement, rent receipt, ownership certificate/building tax receipt etc. to prove its genuineness shall be produced along with the application.

For processors: Processors should furnish a copy of valid licence obtained from local authorities and a copy of valid Pollution Control Board Consent for considering the application for renewal of licence.

Warning: Every person who wants to sell or otherwise dispose of and buy or otherwise acquire rubber should possess a valid licence issued by the Rubber Board; otherwise he shall be punishable with imprisonment or with fine or with both as per the provision of Rubber Act 1947. Mere submission of application form for licence and remittance of licence fee to Rubber Board shall not be deemed that the applicant is a valid licence holder unless the licence is issued by the Rubber Board in favour of applicant. So please ensure that your licence is issued before expiry of validity period of the present licence. Belated filing of application or incomplete application is likely to delay the issue of licence, for which the Board shall in no way be held responsible. The licence will be issued only on prospective date after satisfying all formalities as demanded by the Board.

Contact details.

For further assistance, if required, please contact Board's Help Desk over phone 0481 2301231 Extension Nos. 329, 324, 376 and email to lskochi@rubberboard.org.in. Llicence number, name of the company and contact phone number may be mentioned in all communications.

Dy. Director (Licensing)